हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
पत्रावली में वास्ते बहस पांच पेशी निकल जाने के बाद वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 CPC पेश किया है जिसमें जवाबुल जवाब शामिल करने का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के साथ कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है। केवल मात्र वकील प्रार्थी ने प्रकरण को विलम्ब करने की नियत से एवं न्यायालय का समय नष्ट करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 CPC खारिज किया जाता है। निर्णय की नकल मिसल शामिल की जावे। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस दिनांक 17/1/18 को पेश हो। Riy	
/18 वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 14/2/18 को पेश हो। Riy	
14/2/18 वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 7/3/18 को पेश हो। Riy	
7/3/18 वकील फरीकेन उप० बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर मनन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सं. 2063-66 के अनुसार विवादित आराजी ख. नं. 215। रकबा 07 बिस्वा, भंवरसिंह, भरतसिंह पि० चतरसिंह मोहनबाई बेवा चतरसिंह जाति राजपूत साकिन देह गैरखातेदार के नाम पर दर्ज है तथा विवादित आराजी ख. नं. 242 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व ख. नं. Riy	—continue—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
	191 रकबा 13 बिस्वा मंगलसिंह, भगवतसिंह पिसरान नाहरसिंह मोहनबाई बेवा नाहरसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उन्होंने 55000/-रुपये नकद देकर सम्वत् 2050 में विक्रय कर लिया था तथा दिनांक 14/11/2003 में 1500/- रु. के स्टाम्प पर एक लाख रुपये में 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि विक्रय की थी। पत्रावली में संलग्न दोनों दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 55000/- के नोटरी कहीं पर भी भूमि का खसरा नं. अंकित नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 14/11/2003 के स्टाम्प पर लिखी तहरीर में भी भूमि का कोई खसरा नं. अंकित नहीं है। पत्रावली में संलग्न एक अन्य तहरीर दिनांक 24/11/03 में यह विवरण अंकित है कि वादीगण का प्रतिवादीगण रामस्वरूप, भरतलाल पिसरान मनफूल मीणा के साथ रुपयों का कोई भी लेन देन बकाया नहीं है, इस तहरीर पर रामस्वरूप के हस्ताक्षर अंकित है। वर्तमान में वादीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डड खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के ही पक्ष में बनता है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दि० 13/7/11 को फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। मिसल पर्चे दुरुस्त मुकदमा शामिल (सिविल मिसल) पत्रावली सिविल शुमार होकर नं. लगाई)

Sd/-